संख्या-459 जेएल/22-3-2025-ई-232766

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
बस्ती।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 03 नवम्बर, 2025

विषयः- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजेश सिंह पुत्र श्री राम सेवक सिंह, निवासी इटबहरा, थाना-पैकोलिया, जनपद-बस्ती को माता एवं पत्नी के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1605-07/प्रोबे0/ पैरोल/2025-26, दिनांक 21-10-2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 (1974 का एक्ट संख्या-2) की धारा-432 के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल महोदया जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजेश सिंह (बंदी संख्या-5160/2014) पुत्र श्री राम सेवक सिंह, निवासी इटबहरा, थाना-पैकोलिया, जनपद-बस्ती को माता एवं पत्नी के उपचार हेतु 01 माह के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर कारागार से छोड़े जाने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ देती हैं कि बन्दी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में शान्ति बनाये रखने तथा अच्छे चाल-चलन रखने और पैरोल की अवधि समाप्त होने पर जेल में वापस जाने के लिए आप की संतुष्टि के अनुसार दो जमानतों सहित एक निजी मुचलका दाखिल करे तथा बन्दी के विरूद्ध अन्य कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाये तथा बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक हो। पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि को बन्दी द्वारा काटी गयी सजा में नही जोड़ा जायेगा।

2- यदि बन्दी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) समाप्त होने पर नियत तिथि को जेल में हाजिर न हो तो बन्दी तथा उसके जमानतदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये। बन्दी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में अपने निवास स्थान के थाने में अपनी उपस्थिति की सूचना देता रहेगा।

3- बन्दी को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि यदि वह स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि समाप्त होने पर निर्धारित दिनांक को वापस नहीं आता है तो उसके विरूद्ध किये जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह भविष्य में एक निश्चित अवधि अथवा सदा के लिए परिहार तथा पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पाने का अधिकारी नहीं होगा।

4- यह आदेश जारी होने की दिनांक से 06 माह तक मान्य होंगे।

5- कृपया इस आदेश की प्राप्ति की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2-पुलिस अधीक्षक, बस्ती।

3-वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बन्दी को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर रिहा किये जाने तथा बन्दी के जेल में हाजिर होने की तिथि, शासन तथा महानिरीक्षक कारागार,उत्तर प्रदेश को अनुभाग की ई-मेल आई0डी0 पर उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिन अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकतानही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in